भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2558

20 दिसंबर, 2021 को उत्तर के लिए

परिष्कृत इस्पात की खपत

2558. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान देश में परिष्कृत इस्पात की कुल खपत का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा घरेलू स्तर पर इस्पात की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) "मेक इन इंडिया" और "प्रधानमंत्री गतिशक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान" किस प्रकार से इस्पात क्षेत्र में विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) से (ग): वर्ष 2020-21 के दौरान तैयार इस्पात की कुल खपत का विवरण निम्नलिखित है:

तैयार इस्पात की कुल खपत (मिश्र धातु/स्टेनलेस + गैर-मिश्र धातु)	
वर्ष	**मात्रा (एमटी में)**
2020-21	94.89
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); एमटी=मिलियन टन	

इस्पात के एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के कारण, इस्पात की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने से संबंधित विशिष्ट निर्णय अलग-अलग इस्पात कंपनियों/निवेशकों द्वारा वाणिज्यिक सोच-विचारों और बाजार की गतिविधियों के दृष्टिगत लिए जाते हैं। हालांकि, इस्पात के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से, सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

i. मेड इन इंडिया इस्पात की अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को अधिसूचित करना।

ii. घरेलू रूप से उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

iii. सरकार ने देश में विशेष इस्पात के ग्रेडों के विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारतीय इस्पात उद्योग को प्रौद्योगिकी के मामले में परिपक्व होने के साथ-साथ मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने में मदद करने के उद्देश्य से विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अनुमोदित किया है। इससे भारतीय इस्पात उद्योग को विशेष इस्पात के आयात को कम करने में भी सहायता मिलेगी।

iv. देश में इस्पात के उपयोग और समग्र माँग में वृद्धि करने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित संगत हितधारकों के साथ सहभागिता।

v. आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 के नियम 161(iv) में संशोधन किया है।

vi. 'मेक इन इंडिया' और हाल ही में घोषित प्रधानमंत्री गतिशक्ति मास्टर प्लान के तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग क्षेत्र के विस्तार सहित अवसंरचना विकास, भारतीय रेल द्वारा कार्गो हैंडलिंग में बढ़ोतरी, पोत पर कार्गो क्षमता में वृद्धि, नागर विमानन क्षेत्र में क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना 'उड़ान', नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बढ़े हुए अनुपात सहित ऊर्जा सृजन और ऊर्जा संचार क्षमता, सभी राज्यों को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों से जोड़ना और दूरसंचार क्षेत्र आदि में ऑप्टिकल फाइबर केबल के विस्तार आदि के लिए इस्पात की माँग को बढ़ावा दिया गया है।

****